XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निगरानी/1536/I-15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-6-15	आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उन्हें सुना गया यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्र. 6/अ–21/13–14 में पारित आदेश दिनांक 10/10/13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया है। 2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक को आराजी ग्राम गुरैया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 196/5, 196/6/1, 196/7 रकवा क्रमशः 0.607/0.809 कुल किता 3 रकवा 2.023 हे0 का पट्टा प्रदाय किया गया था। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को जिस भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था वह भूमि बंजर व कृषि कार्य हेतु उपयुक्त भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा यह कथन भी किया था कि आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर अपने निवास स्थान के समीप कृषि योग्य भूमि विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अन्य भूमि क्रय करना चाहता है इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उसके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया। 3. आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। अपर कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ता
	को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इनकार किया कि प्रश्नाधीन भूमि देने के पश्चात आवेदक के पास संहिता की धारा –165 के प्रावधानों तहत पर्याप्त भूमि शेष नहीं रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विकय कर उसके स्थान पर विकय की जा रहीं भूमि के बराबर ही अन्य भूमि कय करेगा। इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदक द्वारा पट्टे पर प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2014–15 की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2– आवेदक द्वारा जितनी भूमि विकय की जा रही हैं कम से कम उतनी भूमि उसके द्वारा कय की जावेगी। तथा दोनों का पंजीयन उपपंजीयक द्वारा एक ही दिन, एक साथ किया जावेगा। सदस्य	

निगरानी 1586-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

दुर्जन तनय हरजुआ अहिरवार
निवासी गुरैया तह. व जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक10/10/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुरैया स्थित भूमि खसरा क्र 196/5, 196/6/1, 196/7 रकवा क्रमशः 0.607, 0.607, 0.809 कुल किता 3 रकवा 2.023 हे. का विधिवत् पटटा निगरानीकर्ता को प्रदाय किया गया था जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की कोशिश की परंतु वह पूर्ण रूप से काबिल काश्त् भूमि नहीं है जिस कारण से